कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 321 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, अगस्त, 04 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषयः जनपद देरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु अपेक्षित 0.950 है0 वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्रांक 5271 / 12–1 दिनांक 21–6–2016 के द्वारा विषयाकिंत प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। उपरोक्त विषयक प्रकरण में निवेदन है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 771 /x -4-15 / 1 (105) /2015 दिनांक 17 अगस्त 2015 (संलग्नक) के कम में आपके स्तर से पत्रांक 652 / 1 जी–विविध (देहरादून) दिनांक 22–8–2015 (संलग्नक) से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग चकराता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी चकराता ने राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु रीवर रेंज के अन्तर्गत कालसी कं0नं0 17 में 0.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित प्रपत्र संलग्न प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

आपके संज्ञानार्थ इस कार्यालय का पत्रांक 294 / 12–2 दिनांक 01–8–2016 की प्रति भी आपके संज्ञानार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि ।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या (1) / उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,चकराता को उनके पत्रांक 5271/12–1 दिनांक 21–जून, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद देरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु अपेक्षित 0.950 है0 वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक – 04 अगस्त, 2016
स्थान – देहरादून ।

नाम – (आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 652/1जी–विविध (दे0दून) :देहरादून:दिनांक: 22 अगस्त, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग/चकराता वन प्रभाग,
कालसी/चकराता।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत कालसी क्षेत्र में आई0टी0आई0 कालसी की स्थापना हेतु 3.00 हे0 वन भूमि प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराण्ड शासन की पत्र सं0–771/X-4-15/1(105)/2015 दिनांक 17–08–2015. (प्रति संलग्न)

महोदय,

उप सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न मा0 मंत्री जी, गृह, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री सरदार सिंह, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कालसी के पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव गठित करने एवं ऑन लाईन अपलोड करने की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– /1जी–3241 (दे0दून) दिनांकित।

प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, गृह, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ/संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आई0टी0आई0 कालसी के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन का औपचारिक प्रस्ताव गठित कर ऑन–लाईन अपलोड करने हेतु अपने स्तर से विभाग के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। इस प्रयोजन हेतु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय अथवा नोडल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रतिलिपि उप सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि आपके उक्त पत्र में वर्णित पत्र संख्या 771/X-4-15/1(105)/2015 दिनांक रहित इस कार्यालय में प्राप्त प्रतीत नहीं होता है। कृपया अपने स्तर से भी तकनीकी शिक्षा विभाग को वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव गठित कर ऑन लाईन अपलोड करने हेतु अपने स्तर से भी लिखने का कष्ट करें।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

D/man

चकराता वन प्रभाग
पंजी. संख्या 1374
पत्रावली संख्या 12
पत्रांक संख्या
दिनांक 08-09-15

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, फैक्स–0135–2745779 E-mail add.-yamunacircle @ gmail.com

पत्रांक– 294 / 12–2 दिनांक, देहरादून, अगस्त 01 , 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषयः– राजकीय औद्योगिक संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में निवेदन है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–771/X-4-15/1(105)/2015, दिनांक 17–08–2015 के क्रम में आपके स्तर से अपने पत्रांक–652/1जी–विधिक(दे0दून), दिनांक 22–08–2015 से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल में हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) की प्रति सहित संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- प्रश्नगत प्रकरण कालसी क्षेत्र में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या 411 / पीएस/भूमि/01/2015 दिनांक 05–8–2015 के द्वारा प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को चकराता वन प्रभाग, कालसी के नियंत्राधीन आमबाग कालसी में 03 एकड़ आरक्षित वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु मा0 मंत्रीजी गृह, लघु सिचांई, पिछड़ा क्षेत्र विकास, उत्तराखण्ड शासन के पत्रों का हवाला देते हुए अनुरोध किया गया।
- अपर सचिव, सिंचाई अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, की शासकीय पत्र संख्या 737/II –2015/07/(01)/201 दिनांक 20 अप्रैल, 2015 द्वारा सिंचााई विभाग से हस्तान्तरित 6.3630 हेक्टेयर भूमि राजकीय आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी की स्थापना के प्रयोजन की जानकारी शिकायती पत्रों के माध्यम से उदघाटित हुई है।
- जैसे ही यह प्रकरण कि आई0टी0आई0 स्थापना हेतु भूमि **सिंचाई** विभाग से पूर्व ही हस्तान्तरित है, प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही रोकने हेतु अपनी पत्र संख्या 2930/ 12–1 दिनांक 05–12–2015 **(छाया प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय से अनुरोध करते हुए आपको भी प्रति पृष्ठाकिंत की गई है।
- अपर सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 36 (1)/xII-1/16-32 (प्रशि0)/ 2009 दिनांक13 जनवरी, 2016 **(छाया प्रति संलग्न)** जो निदेशक प्रशिक्षण विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल को सम्बोधित तथा अन्य के साथ–साथ आपको व प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता को भी पृष्ठाकिंत किया गया है, के अन्तिम प्रस्तर में मा0मंत्रीजी, गृह लघु सिंचाई के पत्र संख्या 468/ कैम्प का0ग्रा0वि0ल0सिं0खा0ना0आ0/201 दिनांक 10–12–2015 के पत्र का उल्लेख करते हुए मा0 मंत्रीजी के

निर्देशानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी का भवन निर्माण प्रस्तावित वन भूमि कालसी में सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश उल्लिखित है।

- प्रकरण में सक्षम स्तर से अभी तक कोई वन भूमि हस्तान्तरण नहीं हुई है । किन्तु प्रभगीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग के स्तर से पत्रांक 5271 / 12–1 दिनांक 21–6–2016, जो इस कार्यालय में दिनांक 30–7–2016 को हार्ड प्रति के साथ प्राप्त हुआ है, का परीक्षण करने पर प्रस्ताव में कालसी आम बाग कालसी कं0नं0 17 में 0.95 है0 आरक्षित वन भूमि पर उक्त आई0टी0आई0 निर्माण करने का प्रस्ताव गठित किया गया है।

उपरोक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण,कालसी के निर्माण हेतु प्रकरण में एक ही प्रयोजन के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि को निरस्त होने के बाद वन विभाग की आरक्षित वन भूमि का सक्षम स्तर से शासनादेश /प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होनी नितान्त आवश्यक है। यह भी अनुरोध करना है कि जब तक सक्षम स्तर से वन भूमि का शासनादेश उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाइन किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण आपके संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 294 (1) / 12-2 उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपिः–

(1) निजी सचिव, मा0 गृह, लघु सिंचाई, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि मा0 मंत्रीजी के उपरोक्तानुसार अवगत कराना चाहें

(2) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

(3) अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी ।

(4) प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 5271 / 12–1 दिनांक 21–6–2016 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत उत्तराखण्ड,देहरादून ।

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कालसी, देहरादून

सेवा में,

उप संरक्षक
चकराता, वन प्रभाग कालसी,
देहरादून

पत्रांकः स्था0/भूमि/भवन/कालसी/2015/590 दिनांक 04 सितम्बर 2015

विषयः राजकीय औद्योगि प्रशिक्षण संस्थान कालसी की स्थापना हेतु आमबाग, कालसी में 3.00 हे0 वन भूमि प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 652/1 जी–विविध (दे0दून) देहरादून दिनांक 22 अगस्त 2015 के क्रम में मा0 मंत्री जी गृह ग्राम्य विकास पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन तथा श्री सरदार सिंह अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कालसी देहरादून के पत्र के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी, देहरादून की स्थापना हेतु संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः कृपया अनुरोध है कि संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
प्रधानाचार्य
Govt Industrial Training Institute
Kalsi (Dehradun)

1383
12
08-09-15

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. निजि सचिव, मा0 मंत्री जी, गृह–ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ/संज्ञानार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
प्रधानाचार्य

D/man
7-9-15

19 AUG 2017

(2)

अनुस्मारक

संख्याः 771 / X-4-15/1(105)/2015

प्रेषक,

श्याम सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फोरेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 17 अगस्त, 2015

विषयः– आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–194/एक्स–4–15/1(105)/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो आतिथि तक शासन में अप्राप्त है।

2. इस सम्बन्ध में, सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या–411/पीएस/भूमि/01/2015 दिनांक 05.08.2015 की छायाप्रति मय संलग्नकों प्रेषित करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना/आख्या शिघ्रातिशिघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

सचिव,
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन उत्तराखण्ड
शासन देहरादून।

पत्रांक : 611 /पीएस/भूमि/01/2015 दिनांकः 5 अगस्त, 2015

विषयः आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मा0 मंत्री जी श्री प्रीतम सिंह के कार्यालय पत्र संख्या 408 दिनांक 06.04.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु कालसी स्थित वन विभाग की भूमि हस्तान्तरित करने हेतु शीध्र प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, पत्र की छाया प्रति संलग्न। इसके अतिरिक्त मा0 मंत्री जी द्वारा सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को भी पत्र संख्या 358 दिनांक 31.07.2015 प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि, आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु आमबाग कालसी में वन विभाग की भूमि उपलब्ध है एवं इस भूमि को आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा0 मंत्री के उक्त पत्रों के क्रम में अनुरोध करना है कि आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु वन विभाग की उक्त भूमि में से 03 एकड भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी के भवन निर्माण हेतु स्थानान्तरित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें। जिससे आई.टी. आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0सुधांशु)
सचिव

प्रतिलिपि :-

1- निजी सचिव मा0 मंत्री जी गृह, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ/संज्ञानार्थ प्रेषित।
2- जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर0के0सुधांशु)
सचिव

50-4(P)

7-8-15

श्री कुमार (P.S)

190

/2015

प्रेषक,

सचिव,
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन उत्तराखण्ड
शासन देहरादून।

पत्रांक : 611 /पीएस/भूमि/01/2015 दिनांक: 5 अगस्त, 2015

विषयः आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मा0 मंत्री जी श्री प्रीतम सिंह के कार्यालय पत्र संख्या 408 दिनांक 06.04.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु कालसी स्थित वन विभाग की भूमि हस्तान्तरित करने हेतु शीध्र प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, पत्र की छाया प्रति संलग्न। इसके अतिरिक्त मा0 मंत्री जी द्वारा सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को भी पत्र संख्या 358 दिनांक 31.07.2015 प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि, आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु आमबाग कालसी में वन विभाग की भूमि उपलब्ध है एवं इस भूमि को आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा0 मंत्री के उक्त पत्रों के क्रम में अनुरोध करना है कि आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु वन विभाग की उक्त भूमि में से 03 एकड भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी के भवन निर्माण हेतु स्थानान्तरित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें। जिससे आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0सुधांशु)
सचिव

प्रतिलिपि :-

1– निजी सचिव मा0 मंत्री जी गृह, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ/संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर0के0सुधांशु)
सचिव

③

संख्या– 151 / II–2015 / 07(01) / 201

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 अप्रैल, 2015

विषय– ग्राम धैरा खत–बाना परगना जोनसार बाबर (खदर) मे स्थित सिंचाई विभाग की भूमि एंव गोदाम को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी को हस्तानान्तरित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–185 / मु0अ0वि0 / सिं0रा0प्र0 / एल–6 / (जी) दिनांक 18 मार्च, 2015 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन ग्राम धैरा खत–बाना परगना जोनसार बाबर (खदर) मे स्थित / उपलब्ध 6.3630 हैक्टेयर भूमि, जिसमें नौ टिन शैड एंव वर्कशाप निर्मित है, में से संलग्न मानचित्र के अनुसार "ए" से "जी" तक की वॉछित भूमि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 260 / वि0अनु0–3 / 2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002 में निहित व्यवस्थानुसार, सम्यक विचारोपरान्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी को निम्नलिखित शर्तो के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हों वह एक अनुमोदित परियोजना हो ओर उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हों तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जायेगा जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हों।

4– यदि भूमि वन विभाग की रक्षित वन भूमि हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी।। रक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि ओर वन सम्पदा को कोई हानि नही कराई जायेगी।

5– वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो, तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पडेगा।

6– हस्तांन्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

संलग्न–यथोक्त

सत्यापित

Principal
Govt. Industrial Training Institute
Kalsi (Dehradun)

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या— / II—2015 / 07(01)/2015तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

सत्यापित

Principal
Govt. Industrial Training Institute
Kalsi (Dehradun)

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्याः 194 /X-4-15/1(105)/2015

प्रेषक,

श्याम सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फोरेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 16 अप्रैल, 2015

विषयः– आई.टी.आई. कालसी के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्री ग्रा.वि.ल.सि.खा.न.आ. उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या 408/सामान्य दिनांक 06 मार्च 2015 व उसके साथ प्राप्त श्री सरदार सिंह तोमर अध्यक्ष विकास कांग्रेस कमेटी कालसी के पत्र की प्रति सलंग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

सेवा मे -

माननीय प्रीतम सिंह जी
काबीना मंत्री
उत्तराखण्ड - सरकार

विषय - कालसी आमबाग नजदीक वन विभाग की खाली भूमि को आई० टी० आई० भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध मे।

महोदय

अनुरोध है कि कालसी आमबाग नजदीक वन विभाग की खाली भूमि है आई० टी० आई० भवन निर्माण हेतु 3 हेक्ट० (लगभग) भूमि - उपलब्ध है। वन विभाग के कम्पार्टमेन्ट 17 मे भूमि है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कालसी आई० टी० आई निर्माण हेतु उचित माध्यम को निर्देशित करने की कृपा करे।

सलंग्न

1- भूमि के फोटोग्राफ सलग्न है

प्रार्थी

(सरदार सिंह)
अध्यक्ष
ब्लाक कांग्रेस कमेटी
कालसी
सदस्य क्षेत्र पंचायत

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कालसी, देहरादून

सेवा में,

उप संरक्षक
चकराता, वन प्रभाग कालसी,
देहरादून

पत्रांक: स्था0 / भूमि / भवन / कालसी / 2015 / 590 दिनांक 04 सितम्बर 2015

विषय: राजकीय औद्योगि प्रशिक्षण संस्थान कालसी की स्थापना हेतु आमबाग, कालसी में 3.00 हे0 वन भूमि प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 652/1 जी–विविध (दे0दून) देहरादून दिनांक 22 अगस्त 2015 के क्रम में मा0 मंत्री जी गृह ग्राम्य विकास पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन तथा श्री सरदार सिंह अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कालसी देहरादून के पत्र के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी, देहरादून की स्थापना हेतु संयुक्त निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः कृपया अनुरोध है कि संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
प्रधानाचार्य
Govt Industrial Training Institute
Kalsi (Dehradun)

1383
12
08-09-15

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. निजि सचिव, मा0 मंत्री जी, गृह–ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ / संज्ञानार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार त्रिपाठी)
प्रधानाचार्य

D/man
आवश्यक कार्य
प्र0व0
7-9-15